न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम (1)

फर्द अहकाम

मु० नं० 03/15 तारीख रजू 3.2.15

उनवान – मिश्रीलाल बनाम जयफल

दावा बाबत इस्तकरारहक तकास्मा स्थायी निषेधाज्ञा

वादी की ओर से श्री मदन मोहन शर्मा Adv. ने दावा बाबत घोषणा खातेदारी, तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया। दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को सम्मन से तलब कर दिनांक 16.2.15 को पेश हो। 58.87 / 3.2.15

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

2/15 वादी वकील उप० प्रतिवादी नं० 1 ता 4 की ओर से श्री सुनील कुमार जिन्दल Adv. ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी नं० 5 ता 13 एवं 15 ता 29 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं। इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रतिवादी नं० 14 का सम्मन अदम तामील प्राप्त हुआ है। प्रतिवादी नं० 30 का सम्मन वापिस प्राप्त नहीं हुआ है वादी वकील प्रतिवादी नं० 14, 30 के सम्मन तलबाना पुनः पेश करें पत्रावली दिनांक 13.3.15 को पेश हो।

ता. 18 वणी उर्फ दामा)

मैजीलाल

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडा

दिनांक	फर्द अहकाम
25/2/16	वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी क्रमाण पट्यपोट है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 11-3-16 को पेश हो।
11.3.16	वकुलाय उप० / वादी वकील ने प्रतिवादी नं. 14 का सम्मन तलवाना पेश किया / वास्ते तलवी दि० 18.4.16 को पेश हो।
18.4.16	वकुलाय उप० / प्रतिवादी नं. 14 का सम्मन जरिये रजि० AD जारी हो चुका है, बइन्तजार प्राप्ति रसीद दिनांक 17.5.16 को पेश हो।
	पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट खेड़ा में पेश दिनांक 24.6.16 को पेश हो।
24.6.16	पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट खेड़ा में पेश हुई। वादी मिश्रीलाल उपस्थित / प्रतिवादी अनुपस्थित / दोनों पक्षों को सुना गया / ख.नं. 991 रकबा 8 ऐयर किस्म ... मु.नाह का बंटवारा करने व अलग से लोकण
मिश्रीलाल बृजमोहन	

ांक	फर्द अहकाम	
	खातेदारी करा कर स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने का पेश किया है। भूमि की किस्म गैर मु. चाह रकबा 8 हैक्टर से संबंधित है। प्रथमतः तो किस्म गैर मु चाह का बंटवारा किया जाना संभव नहीं है तथा उक्त खसरा नम्बर मे 8 हैक्टर भूमि थी जिसमे 30 हिस्सेदार है जिसका मौका पर बंटवारा होना किसी प्रकार से संभव नहीं थी तथा सह खातेदारों को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नहीं समझता हूं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का दावा खारिज योग्य होने के कारण खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 24.6.16 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (जगदीश आर्य)	

न.18 वणी उर्फ दामो) / मिश्री लाल